अध्याय VII

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीपीएसईज़ के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदननों में निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से उचित तथा समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो।

लोकसभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से संसद भवन के दोनों सदनों में प्रस्तुत सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकन पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा द्वारा पूर्णत: पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ऐसी टिप्पणियों को पैराग्राफ/मूल्यांकन के संबंध में ही प्रस्तुत किया जाना था जिसे विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा चयन नहीं किया गया था। कोपू ने उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए अपनी दूसरी प्रतवेदन (1998-99-बारहवीं लोकसभा) में सिफारिश किया कि:

- अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज़) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यक) के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणी (एसटीएन) प्रस्तुत करने की निगरानी हेत प्रत्येक मंत्रालय में एक निगरानी से बनाया जाए;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत कई पीएसयूज़ से संबंधित पैरा वाली प्रतिवेदनों के संबंध में एटीएन की प्रस्तुति की निगरानी हेतु सार्वजनिक इंटरप्राइज़ेज विभाग (डीपीई) एक निगरानी से बनाया जाए; और
- संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुति की तिथि से छ: महीनों के भीतर संसद में प्रस्तुत सीएजी की सभी प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पूर्णत: पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन समिति को प्रस्तुत किया जाए।

सचिवों की समिति की बैठक (जून 2010) में आगामी तीन माह के भीतर सीएजी के लेखापरीक्षा पैरा पर लंबित एटीएन/एटीआर तथा रीएसी की सिफारिशों को निपटाने का विशेष प्रयास करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय से अवगत कराते हुए (जुलाई 2010), वित्त मंत्रालय ने भविष्य मे विस्तृत कार्रवाई करने हेतु संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए सीओपीयू ने अपने पहले प्रतिवेदन (1999-2000 तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्व सिफारिशों पर जोर दिया कि अलग-अलग उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित आपत्तियों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी हेतु डीपीई को स्वयं एक अलग निगरानी तंत्र बनाना चाहिए। डीपीई ने बताया (मार्च 2015) कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन प्रस्तुतीकरण पर अनुवर्ती निगरानी हेतु एक अलग निगरानी सेल बनाया गया था। डीपीई ने यह भी बताया कि उन्होंने संबंधित सीपीएसईज़ के क्षेत्राधिकार वाले सभी विभागों से भी अपने विभाग में निगरानी सेल स्थापित करने का अनुरोध किया था।

लेखापरीक्षा में एक समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद भी विभिन्न मंत्रालयों से 30 एटीएन प्रतिक्षित हैं, जैसा कि **परिशिष्ट-III** में दर्शाया गया है।

नई दिल्ली **(प्रसेनजीत मुखर्जी)**
दिनांक : 23 मई 2016 **उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक एवं अध्यक्ष,**
लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक : 23 मई 2016 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**